(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम पूजन पटेल) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को नियंत्रित रखने और देश भर में, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्यों पर मुहैया कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा जनवरी से मार्च, 1990 की अवधि के दौरान गेहूं और चावल जैसी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ मुख्य वस्तुओं का राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटन बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार फरवरी, 1990 से खुले बाजार में बिक्री के लिए निर्मुक्त की जाने वाली चीनी की मात्रा में भी निरन्तर वृद्धि की गई है। हाल के महीनों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों के आवंटन में भी वृद्धि की गई है।

केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह भी कहा है कि वे आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और उनसे संबंधित, अन्य कदाचार करने वाले समाज-विरोधी तत्वों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उपबंधों और अन्य ऐसे ही कानूनों को सख्ती से लागू करें।

कृषि क्षेत्र में आदानों की लागत में वृद्धि

599. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि क्षेत्र में आदानों की लागत में वृद्धि के संबंध में दिनांक 18 दिसम्बर, 1989 के "दि ट्रिब्यून" में "इनपुटस कोस्टलियर इन फार्म सैक्टर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि 80 के दशक के दौरान कृषि उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में जितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, उतनी प्रतिशत वृद्धि कृषि उत्पादन के मूल्यों में नहीं हुई है ;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

(घ) आगामी वर्षों में उत्पादन की लागत में कमी करके किसानों की क्रय-शक्ति में वृद्धि करने के लिये सरकार ने किन-किन उपायों पर विचार किया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श करने के बाद कृषि जिन्सों के लिये अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण करती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, आदानों के मूल्यों में वृद्धि को भी ध्यान में रखता है।

(घ) अन्य के साथ-साथ, अवसंरचना में सुधार, कृषि का विविधिकरण और आधुनिक आदानों और प्रौद्योगिकी के कुशल उपयोग हेतु कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं, जिससे उच्च उत्पादकता प्राप्त की जा सके और उसके फलस्वरूप उत्पादन लागत में कमी आ सके। सरकार ने फसल उत्पादन की लाभकारिता में सुधार करने के साथ-साथ फसलों की उत्पादन लागत संबंधी प्रणाली की समीक्षा करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की।

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

600. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी और गैर-

सरकारी क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में अपर्याप्त प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आगामी तीन वर्षों में बेरोजगार व्यक्तियों को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार की क्या योजनायें हैं ?

श्रम एवं कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) और (ख) रोजगार संबंधी नवीनतम उपलब्ध आंकड़े (अन तिम) मार्च, 1989 से संबंधित हैं जो रोजगार बाजार सूचना कार्यक्रम पर आधारित हैं जिनमें संगठित क्षेत्र शामिल है । इन आंकड़ों के अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का रोजगार मिलाकर मार्च, 1987 के अन्त में 253.88 लाख से बढ़कर मार्च 1988 के अन्त में 259.86 लाख हो गया ।

(ग) 8वीं पंचवर्षीय योजना में बेरोजगार व्यक्तियों की सभी श्रेणियों के लिये रोजगार सृजन पर बल दिये जाने का प्रस्ताव है ।

सरकार के पास महाराष्ट्र से प्राप्त लंबित मत्स्य बन्दरगाह परियोजना संबंधी प्रस्ताव

601. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में मत्स्य बन्दरगाह के निर्माण से संबंधित कितने प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हुये हैं और इसके क्या कारण हैं, और

(ख) इन परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) भारत सरकार के पास महाराष्ट्र में मात्स्यिकी बन्दरगाहों के निर्माण हेतु कोई भी प्रस्ताव लंबित नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्रामीण में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधाएं

602. **श्री विश्वासराव रामराव पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक 1981–91 के दौरान विभिन्न गांवों में पेयजल और स्वच्छता संबंधी सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु प्रबंध करने के लिये कोई प्राथमिकतायें निर्धारित की हैं;

(ख) अब तक कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई और अब तक उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग कर लिया गया है; और

(ग) प्राथमिकता की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जिलावार कितने गांवों का निर्धारण किया गया है और इस संबंध में क्या उपलब्धियां रही हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981–91) के अन्तर्गत लक्ष्य शतप्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को स्वच्छ पेयजल की सुविधाओं के अधीन कवर करने और 25 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को कम लागत पर स्वच्छ शौचालयों की सुविधायें उपलब्ध कराने के आधार पर निर्धारित किया गया था ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) केवल उन समस्याग्रस्त गांवों, जिन्हें स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया